न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी यज्ञ मित्र सिंहदेव, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 56 / 2019 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

ए यु स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड। प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. सुखदेवराम पुत्र रिछपाल (ऋणी एवं रहनकर्त्ता)
निवासी ओला, कुडली, जिला सीकर– 332024 राज.।

यहां भी
सुखदेवराम पुत्र रिछपाल
कॉमर्शियल शॉप एट ग्राउण्ड फलोर, वार्ड नम्बर 7 (न्यु 07), बिहाइण्ड पुराना लुहारू बस स्टैण्ड, सीकर राज.।

2. मनभरी देवी पत्नी सुख देव राम (सहऋणी एवं रहनकर्त्ता)
निवासी कटराथल, कुडली जिला सीकर– 332024 राज.।

यहां भी
प्लॉट नम्बर ए–27, महात्मा ज्योतिबा फुले नगर, सैक्टर–3, महादेवी सिंह खण्डेला फार्म हाउस के पास, जिला सीकर राज.।

3. रिछपाल सिंह पुत्र ईश्वर सिंह (सहऋणी)
निवासी 419, देवीपुरा रोड़, तिलक नगर, वार्ड नम्बर 25, सीकर– 332001 राज.।

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

निर्णय

निर्णय दिनांक: 30 अक्टूबर, 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **अरविन्द थालौड़** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **सुखदेव राम, मनभरी देवी, रिछपाल सिंह** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अचल सम्पति **कॉमर्शियल शॉप एट ग्राउण्ड फलोर, वार्ड नम्बर 7 (न्यु 07), बिहाइण्ड पुराना लुहारू बस स्टैण्ड, सीकर राज. में स्थित जिसकी नाप 19.22 वर्गगज है। मालिकाना हक सुखदेव राम का है, जिसकी चारों दिशाएं निम्न**

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

प्रकार से हैं – पूर्व में नोहरा ऑफ परमेश्वर स्वामी, पश्चिम में रास्ता, उत्तर में शॉप ऑफ हरदेव राम काले, दक्षिण में शाप ऑफ नेमी चन्द चौधरी एवं प्लॉट नम्बर ए–27, महात्मा ज्योतिबा फुले नगर, सैक्टर–3, महादेवी सिंह खण्डेला फार्म हाउस के पास, जिला सीकर राज. जिसका नाप 222.35 वर्गगज मालिकाना हक मनभरी देवी जिसकी चारों दिशाएं इस प्रकार से हैं – पूर्व में पब्लिक रास्ता, पश्चिम में प्लॉट ऑफ श्रीराम नगर रेजिडेंटल स्कीम, उत्तर में प्लॉट नम्बर ए–28, दक्षिण में लैण्ड ऑफ राधेश्याम सैनी को बंधक रखकर **50,00,000/–**रूपये (अक्षरे रूपये **पच्चास लाख**) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **07.06.2019** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ऋणी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **19.04.2019** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण सुखदेव राम, मनभरी देवी, रिछपाल सिंह की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक कॉमर्शियल शॉप एट ग्राउण्ड फलोर, वार्ड नम्बर 7 (न्यु 07), बिहाइण्ड पुराना लुहारू बस स्टैण्ड, सीकर राज. में स्थित जिसकी नाप 19.22 वर्गगज है। मालिकाना हक सुखदेव राम का है, जिसकी चारों दिशाएं निम्न प्रकार से हैं – पूर्व में नोहरा ऑफ परमेश्वर स्वामी, पश्चिम में रास्ता, उत्तर में शॉप ऑफ हरदेव राम काले, दक्षिण में शाप ऑफ नेमी चन्द चौधरी एवं प्लॉट नम्बर ए–27, महात्मा ज्योतिबा फुले नगर, सैक्टर–3, महादेवी सिंह खण्डेला फार्म हाउस के पास, जिला सीकर राज. जिसका नाप 222.35 वर्गगज मालिकाना हक मनभरी देवी जिसकी चारों दिशाएं इस प्रकार से हैं – पूर्व में

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

पब्लिक रास्ता, पश्चिम में प्लॉट ऑफ श्रीराम नगर रेजिडेंटल स्कीम, उत्तर में प्लॉट नम्बर ए–28, दक्षिण में लैण्ड ऑफ राधेश्याम सैनी, का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद (जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर) प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान जो नियमों में देय है, सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांकः 30 **अक्टुबर, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/10/2019

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner